

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

विजय शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

पंचायत

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

नवंबर 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. <u>श्रीम. बाबूजी शर्मा</u> <u>सहस्राल - हुपुल</u> <u>मिला-मोपाल</u>	<u>खेती/बिगाड़ा</u> <u>खेती 30x50</u> <u>के भूखंड 40</u> <u>भूल लावा</u> <u>बिगाड़ा 40</u> <u>200 मी</u> <u>200 लावा</u>	—	<u>ल 2000</u> <u>70 लावा</u>	—	<u>खेती/बिगाड़ा एवं</u> <u>बैंक से लोन लेकर</u> <u>प्लॉट खरीदा एवं</u> <u>बनाया वर्ष 2014 में</u> <u>रोहित शर्मा बिगाड़ा</u> <u>सहकारी अग्रिम</u> <u>प्रशिक्षित मोपाल से</u> <u>किया किया वर्ष 2009 में</u> <u>बैंक से लोन लेकर 40</u> <u>डुल्लूवा का बिगाड़ा किया</u> <u>शर्मा</u>	<u>वर्तमान में</u> <u>निक</u>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) विधाय, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वास्तिक को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

28/11/21

नाम

विजय शर्मा

पद

पंचायत

W-229-2 कापन) 30 नव -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१९-२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ज्योति मेघावाले 2. वर्तमान धारित पद पंजीयक
3. वर्तमान वेतन 95900+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① आवास क्र. 113, बी. सेक्टर, कीडीर, काशीनी, विद्या नगर, फेज-2 हरियाणा, मोपाल. म. प्र.	आवास	रु. 1 करोड़ (लगभग)	रु. 1 करोड़ (लगभग)	स्वयं के नाम -	माता पित के द्वारा पट्टा स्व. लोन द्वारा भवन निर्माण	6,00,000/-	
② प्रकोष्ठ क्र. 14/2 सहकारी आवासीय परिसर फेज-2, कपाना नगर, मोपाल. म. प्र.	प्रकोष्ठ	-	रु. 18.20 लाख (लगभग)	स्वयं के नाम आवासीय (पंजीयन नहीं)	सास-ससुर द्वारा	Nil	
③ मूरखड क्र. 14/8 सहकारी वल्लभ मंदिर परिसर आवासीय योजना, मुरखड, चरण-2, मोपाल.	मूरखड	-	रु. 32 लाख (लगभग)	पति, पुत्र, स्वयं के नाम	पति की आय द्वारा	Nil	
④ आवास क्र. 1-उ, साईबाहेका, देवपुरी, रामपुर, चण्डीगढ़	आवास	-	रु. 60 लाख (लगभग)	पति के नाम	पति की आय स्व. HDFC बैंक लोन द्वारा	Nil	
⑤ कृषि भूमि, ग्राम मेघा, तह. मगरलोड, जि. चम्पली, बंग.	कृषि भूमि 15 एकड़ लगभग	भूमि	रु. 35 लाख (लगभग)	पति के नाम	विरासत	60,000/-	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

Jyoti Meghwal

नाम

ज्योति मेघावाले

पद

पंजीयक, मा. वि. म. म. प्र.

मोपाल

08.02.21

10/8/21 (संख्या)
 8-221 W-229-2 कोपन) अ न 00 -

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1- अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

आर. आर. डेली

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान बंटन

98224

अगली वेतनबृद्धि की तारीख

५५०६...२

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ऐसे मामले में जहाँ मृत्यु का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मृत्यु बतलाई जाए।
 इरायें अल्पकालीन पड़ते भी सम्मानित हैं।

अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति निवृत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परावृत्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अग्रदाताओं द्वारा प्राप्त में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

W. 229-2 व्यापना अ. 700-

धाम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

आर.पी. बोरहिया

२. वर्तमान धारित पद

संभागीय अधिकारी

३. वर्तमान वंश

71100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2021

उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा न्यौत		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौत	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि पृक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) जिला भुर्ना ग्राम-डोंगरपुरलोधा	-	भूमि (तीन बीघा)	लगभग 4 लाख	विरासत में	विरासत में	Nil	-
(2) जिला अवधिया म.प्र.	आवासीय गृह	-	लगभग 29,00,000 (उन्नीस लाख)	ग्रह पत्नी के नाम से है	ग्रह कय किया गया है।	Nil	-

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य बताने-सही विवरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्यमिक शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नौकरी की अवधि के परवान पर धोखा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उससे अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के न्यौत दें।

हस्ताक्षर

आर.पी. बोरहिया
संभागीय अधिकारी

संभागीय कार्यलय मा.प्र.
अवधिया (म.प्र.)

W-229-250451 अ न 000

James

५०४५५

2. वर्तमान धारित पद

જુલૈ ૨૦૨૧

जेम्मा विदार
फेस II
अवधपुरी
पिपलाजी
भोपाल
IB D. गोलडविला
लमदेता बागपुर
बोर्ड. भवलापुर

हस्ताक्षर _____

नाम इब्राहिमून्

पद संदपक सचिव: मा. शि. ००५२
श्रीपाल:

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासन की सेवा के (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी से के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की आवृत्ति के परचात यह घोषणा करे और उमर में वह उनके स्वाभित्त की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पड़े या बंधन पर उसके द्वारा धरित समस्त अबल संपत्ति के नदी हैं।

W. 229-2 વાપના ઝા 750-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१।

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : श्रीमति. देहा. श्री. दे. सी.

2. वर्तमान धारित पद : सहायक सचिव

3. वर्तमान वेतन : 71100/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 31/12/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1/ ग्राम नालावाड़ श्रीपाल सुरजन गल फेस II	काट (निर्मागिर्जन)	20x30 600 काट	2,68,890/-	(बंम के नाम)	6/1/14	NIL	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वहीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-229-2 व्यापन) अ 700-

20/07/2021
CA D Forms (W) 1

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमान बबूल शिवराम 2. वर्तमान धारित पद 212101010 श्रीमान

3. वर्तमान वेतन 71100/- P.T. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य <u>अनुमानित</u>	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>जालिंधर</u>	<u>212101010</u> <u>1800 sqft</u> <u>(अनुमानित 8000/-)</u>	-	<u>45 लाख</u>	<u>2017</u>	<u>पति-पत्नी की सम्पत्ति</u> <u>2017 21422 जी/किमी</u> <u>को लानेवा के 21 कि</u> <u>2142 मी अक्ष</u> <u>अनुमानित</u>		
<u>दुर्गा</u>	<u>212101010</u> <u>1000 sqft</u> <u>(अनुमानित 3000/-)</u>	-	<u>10 लाख</u>	<u>2017</u>			
<u>दुर्गा</u>	-	<u>212101010</u> <u>1200 sqft</u> <u>(अनुमानित 6000/-)</u>	<u>12 लाख</u>	<u>2017</u>			

* जहाँ लागू न हो कोट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अत्यन्तालोचन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भर भर का प्रभुत्व को और उसमें वह अपनी स्वाधिन्य को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 25.1.21
नाम श्रीमान बबूल शिवराम
पद 212101010 श्रीमान

W-229-2 वापना अ न 000 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

ममता शिव पाल

2. वर्तमान धारित पद

सहायक सचिव

3. वर्तमान वेतन

77700/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
H.NO-66 N.B. HOMES झिरनियाँ	प्लॉट 22X45 TOTAL 990 वर्ग फीट			श्रीमती ममता शिव पाल स्वयं	PMB बैंक से लोन लिया		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

32/2/21

नाम

ममता शिव पाल

पद

सहायक सचिव

W-229-2 (आपन) अ-700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महावान पारित 2. वर्तमान धारित पद सहायक सचिव3. वर्तमान वेतन ₹ 44500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. मेकान नं. D-337 रामेश्वरम थागमुगालिमा ओपील	आवात	—	40 लाख अनुमानित	स्वयं के नाम	स्वयं की लगत, मानाफी की वकत, SBI से गृह ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण आदि से		
2. अंखल गृह निर्माता कोसा केरागढ़ चिपली कोलार रोड ओपील	लार 1372 वर्गफीट	लार	15 लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की लगत एवं PF से आइसि राबि से ऋण किया		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

महावान पारित

सहायक सचिव

W-229-2 व्यापना अ न 00 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

डी. सी. मोदी

2. वर्तमान धारित पद

सहायक निदेशक

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई २०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतसाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधन, निरास्त, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
डॉ. सी. मोदी	गृह	Nil	10,50,000/- समाप्त पचास हजार मात्र	हवन की पत्नी के नाम पर	वर्ष २००९ में कृषि विभाग	Nil	

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतसाइये जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदस्त से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवानु यह घोषणा पत्र भर का प्रशुत करें और उसमें वह अपने स्थापित को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में दें।

हस्ताक्षर

डी. सी. मोदी

पद

सहायक निदेशक

का. ४३१, १५०० लाहौर (म.प्र.)

W. 229-2 व्यापना डी न. ७७ -

8/12/12

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

रणजीत सिंह हाहिमा

2. यर्तमान धारित पद

हॉलिंगीय अधिकारी

3. वर्तमान वेतन : 73200/-

अगली वेतनवृद्धि का तारीख

01/07/2021

1. 'वर्गम-य'

M. J. R. 104
व्य इन्दिरा
नगर, नीमरा

$$\begin{array}{r} 6.5 \times \\ 12.5 \\ \hline = 81.25 \\ \text{वर्ग मीटर} \end{array}$$

NO LDEA

ब्रह्म के नाम

मो प्रो गृह निर्माण
माउल से प्राप्ति
(लेक से लेन हार)

2. 1951-1957 (15)

30 x 45 = 1350 g of dry

— 26 —

—do—

मगर परिषद् विशाखा
दे (खसिड हारा)

3. सुख लेकनिमै
सोपाल

$$24 \times 45 = 1200$$

-46-

— 45 —

दीर्घाल जैन, मोपल
(बैंक से लेन डाय)

जहां लागू न हो काट दीजिए।

* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

*** इसमें अत्यन्तहीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आदर्शण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहिली विद्युत्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि में पश्चात्त यह घोषणा : पर पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे प्राप्त में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ते या बंधन पर उसके द्वारा धारित सम्पदा अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम : 27/01/2021

पद (रघुजीत सिंह दाहिमा)

દૈનિકીય અધિકારી,
સાપ્તમિક શિક્ષા માહુલ, દીવા

W. 229-2 (144) 3A 700-

फार्म

3/2/21

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जिम्मा विमला शाक्य वर्तमान धारित पद सहायक लेखिका

3. वर्तमान वेतन 75400/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२१

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला भोपाल तह-हुजूर	मुख्य	प्लॉट B-80 फेडरल कटाय हिल्स भोपाल	लॉन्ग लास प्रशासिक हुजूर	स्वयं	ईक वे - मुजा लेकर जीके पाप किया	ना।	

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 118(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर जिम्मा

नाम जिम्मा शाक्य

पद सहायक लेखिका

W-229-2 कोपन) अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०-२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अशोक कुमार केशवास** 2. वर्तमान धारित पद **नि. सहायक सचिव**3. वर्तमान चयन अगली चयनमृदि की तारीख **०१-०७-२०२१**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि पृथित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A-65, अभिनन्दन नगर सुरवलिथा इन्दौर	गृह	—	47 लाख लगभग	स्वयं	वर्ष 1994 से 1999 तक आखान किरातों में सहकारी साख सेस्था से प्लार कृय किया गया एवं बैंक लोन लेना तथा स्वयं की वेतन की बचत से 2002-2003 में भवन का निर्माण कराया गया	लगभग 96000/- वार्षिक	—

- * अहां दाख न हो काट दीजिए।
 ** ऐसी मामलों में जहां मूल्य बताने-सही निर्धारण करना संभव न हो, यहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवाएं (आवारा) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के परवान पर घोषणापत्र भर का प्रभुत्व को और उसमें यह उनके सम्पत्ति को तथा उसके द्वारा अर्जित भूदा उत विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बताने दें।

हस्ताक्षर..... 20/11/2021

नाम **अशोक कुमार केशवास**
 पद **नि. सहायक सचिव**
 संग्रहीत कार्यलय
 मा० शि० भ० स्मार (म.प्र.)

W 229-2 थापना अ न ७७० -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

एम. आर. अहिरवार

2. वर्तमान धारित पद

सहायक सचिव

3. वर्तमान वेतन

Rs. 73,200/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16, कै. एन. प्रसाद स्टेट बावड़िया डबों, मोहाल	25x40 4x कुलिया शान	NIL	मामा 37,00,000/- रुपये	स्वयं के नाम से	पहला गृह निर्माण समिति से जनवरी 2006 में क्रय किया गया। (स्वयं की बचत से) क्रेडिट लोन द्वारा	NIL	स्वयं का निकास

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में राशिमूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

एम. आर. अहिरवार

सहायक सचिव

W. 229-2 व्यापन) अ 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

भारती लामकुवर

2. वर्तमान धारित पद

सहायक सचिव

3. वर्तमान वेतन

67,000/- अगली वेतनबृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
CM-254/1 राजधर्म डालोनी दोलार रोड कोषाळ	15X50 अवक	-	ज्ञात नहीं	स्वयं	मुकुंद के पुत्र लड़क	Nil.	
नाथुखंडा	25X40 लगा	लगा	→	पत्नी के नाम श्री लामकुवर	पत्नी द्वारा धरकर कपल से	Nil.	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाने यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

श्री लामकुवर

नाम

भारती लामकुवर

पद

सहायक सचिव

W-229-2 (आपना) जे 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

20/7/2021
2/12/21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

पद्मानन्द पंचारे

2. वर्तमान धारित पद

सहायक सचिव (सत्यापन)

3. वर्तमान वेतन

मूल वेतन

71100

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्रामर खण्डवा तहसील खण्डवा (मध्य प्रदेश)	अज्ञान	15000 वर्ग फीट	30-35 लाख रुपये अनुमानित	स्वयं व पत्नी श्रीमती कृष्णा पंचारे	स्वयं व पत्नी की बचत, जी०पी०एफ० डिपोजिट से उधार राशि लेकर सम्पत्ति अर्जित की गयी है।	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर... Pandore 12/11/21

नाम पद्मानन्द पंचारे

पद सहायक सचिव (सत्यापन)

मा० डि० म० म० प्र० ओ० पाल

W-229-2 व्यापन) जे 700-

1031/सं. 1
15.01.2021

फार्म

GAD Forms (W) 1

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा संपत्ति का विवरण, वर्ष 2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उमेश कुमार ठाकुर

2. वर्तमान धारित पद

सहायक सचिव

3. वर्तमान वेतन

₹ 1,00,000 -

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

ज्ञात नहीं।

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***छोटे, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - कैलाशचिचली जिला - भोपाल मध्य प्रदेश	304.55 वर्गमीटर का प्लॉट।	-	ज्ञात नहीं।	स्वयं के नाम पर	स्वयं के संसाधन से खर्च व्ययित विशेष से ऋण प्राप्त कर वर्ष 2009 में क्रय।	निरंक	-
म. नं. 12, डी. के. कॉटेज, फेस - III कावडिया कला, दाना - यानी रेस्टोरेन्ट के पास भोपाल, मध्य प्रदेश	1160 वर्गफुट प्लॉट पर निर्मित।	-	ज्ञात नहीं।	स्वयं स्वयं पत्नी के नाम पर।	वर्ष 2006 में क्रय प्लॉट को बेचकर प्राप्त राशि 26.50 लाख रु. स्वयं 22 लाख रु. ऋण के रु. से प्राप्त कर क्रय किया गया।	निरंक	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 78(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

उमेश ठाकुर
(सहायक सचिव)

W-229-2 (पापन) अ 7000 -

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो KAMAL KISHOR (NARWADE)

2. वर्तमान धारित पद

ASSISTANT SEC. (DEPUTATION)

3. वर्तमान वेतन BASIC + DA

अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1. JULY 2021

20/12/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) BETUL		2 Acre (Approx)	UNKNOWN - SELF		विरासत में	NIL -	-
(2) BETUL	HOME/ HOUSE	900 sq. feet	UNKNOWN - SELF		(With the help of Mother, GPF and Self Saving)	NIL -	
(3) BHOPAL	FLAT (Under construction)	Approx. 800 sq feet	35 Lakhs - SELF & WIFE		B.O.I. / Colan road Bank 1097 (28/9/16) with the help of Mother & self Saving	NIL	412, Sagar green hills, Colan road Bhopal.

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अवैध है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

18.01.2024

नाम /Kamal kishor (Narwade)

पद Asst. Sec. (Depy. Sec.)

W-229-2 (व्यापन) अतः 7000-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राम मोहन पटेल 2. वर्तमान धारित पद सहायक सचिव3. वर्तमान वेतन 80000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
रुखित नाल, प्लेस-3, जालकेशी, नेपाल	NIL	30x50 भूखण्ड क्रमांक 110	लगाभूमा 2001/20 845 मात्र	स्वयं के नाम पर	वेतन व्ययत	NIL	NIL

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Prabhat 18/12/21नाम राम मोहन पटेलपद सहायक सचिव

W. 229-2 कोपना अ 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती उषा वासुदेव 2. वर्तमान धारित पद सहायक सचिव

3. वर्तमान वेतन 61,300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह	Nil	सात नदी	पति-अशोक वासुदेव	पति द्वारा लोन लेकर 1988 में प्लॉट लेकर 1990 में बनाया शेष राशि दोनो की कचत से लगायी	Nil	
पूणे	फ्लैट	Nil	पा लारव	उषा वासुदेव	मेरे द्वारा लोन लिया गया शेष राशि दोनो की कचत से दी गई स्व. बेटीयो द्वारा भी दी गई	Nil	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्रीमती उषा वासुदेव
सहायक सचिव

W-229-2 व्यापक आ 700-

फार्म

3/2/21

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जिम्मा विमला शाक्य वर्तमान धारित पद सहायक सचिव

3. वर्तमान वेतन 75400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला मोपास तह-हुजूर	मुख्य	प्लॉट क ^० B-80 फेब्रुअरी कटाय हिल्ल मोपास	१६५ लाख पचास हजार	स्वयं	जिस से मुला लेकर जील्स पाए किया	ना।	

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, तहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर जिम्मा विमला शाक्य
 नाम जिम्मा विमला शाक्य
 पद सहायक सचिव

W-229-2 कोपना अ न ७७ -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२०-२१

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अशोक कुमार कंधवास** २. वर्तमान भारित पद **नि. सहायक सचिव**३. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख **०१-०७-२०२१**

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंगला, निरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि प्रकृति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A-65, अभिनन्दन नगर सुरवनिया इन्दौर	गृह	—	५७ लाख लगभग	स्वयं	वर्ष १९९४ से १९९९ तक आसान कृशों में सहकारी साव सेस्था से प्लार कुय किया गया एवं बैंक लोन लेका तथा स्वयं की वेतन की बचत से २००२-२००३ में अवन का निभवि कुशया गया	लगभग ९६०००/- वार्षिक	—

जहां शाब्द न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाह्य महीने की अवधि के परवान पर भौवण्ड-५३ पर का प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाक्षरों का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे निरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा भारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम **अशोक कुमार कंधवास**पद **नि. सहायक सचिव**

संसाधन कार्यलय

मा० शि० म० सागर (म.प्र.)

W-229-2 व्यापन) अ न ७७७ -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कान्ता प्रसाद रिक्ले 2. वर्तमान धारित पद उपा-अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 59100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२१ (पिछलगीमास)

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला भोपाल ग्राम: लाउखेड़ी	मकान-03 भंडार-01	निरंक —	सात गहरी —	पैतृक सम्पत्ति —	पैतृक सम्पत्ति —	निरंक —	पैतृक सम्पत्ति है। चार भाई भाताजों कुल 05 शेड्यूल है। बंटवाया नहीं हुआ है

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल संपत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

कान्ता प्रसाद रिक्ले
उपा-अधिकारी

W-229-2 वापस आ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

महेन्द्र कुमार डोगरे

2. वर्तमान धारित पद

कक्षाधिकारी

3. वर्तमान वेतन 49500 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि प्रुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जयलपुर	गृह	—	लगभग 19 लाख	स्वयं/पत्नी	LIC से लोन मारिवास्कि, लहमोग P.F से जका लक्षि (लोन)	—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परबाद यह घोषणा पत्र भा का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के नतीरे दें।

हस्ताक्षर

महेन्द्र कुमार डोगरे

नाम

महेन्द्र कुमार डोगरे

पद

कक्षाधिकारी

W 229-2 व्यापन अ न ७७ -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुरेन्द्र कुमार खल

2. वर्तमान धारित पद

उप-निदेशिका

3. वर्तमान वेतन

49500 + 5940

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2021

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nil	Nil	Nil	Nil		Nil	Nil	Nil
				Nil			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में स्थापित मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) विधम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचायत यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

11/01/2021

नाम

सुरेन्द्र कुमार खल

पद

उप-निदेशिका

W-229-2 वापस आ 700-

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

११ नवम्बर २०२१

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कन्नुलाल रायकवार २. वर्तमान धारित पद कक्षा अधिकारी

३. वर्तमान वेतन ४९,५००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल	गृह	-	21,00,000/- (इक्कीस लाख रु.)	स्वयं एवं पत्नी के नाम	होम लोन	Nil	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना पर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ...

Bikar

नाम कन्नुलाल रायकवार

पद कक्षा अधिकारी

W-229-2 व्यापन) अ १००-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती ज्योति सिंह 2. वर्तमान धारित पद उप-निरीक्षक3. वर्तमान वेतन 49500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				निरा			

- * जहां लागू न हो कोट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-229-2 व्यापन) अ 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २० 21

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो किशन लाल गोहिला वर्तमान धारित पद कडा उपाधिकारी

3. वर्तमान वेतन 49500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>बाध 21/5</u> <u>918</u> <u>सागर (मरुवा)</u>	<u>मरुवा</u>	<u>—</u>	<u>लगभग</u> <u>18 लाख</u>	<u>स्वयं के</u> <u>नाम</u>	<u>उपाधर</u> <u>कृष्ण</u>	<u>निर्णय</u>	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर किशन लाल गोहिला
 नाम किशन लाल गोहिला
 पद कडा उपाधिकारी

W-229-2 थापना अ न 000 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

पुष्प कुमार सब्बा

2. वर्तमान धारित पद

अधीनस्थ अधिकारी

3. वर्तमान वेतन

51,000/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01-07-2021

29/12/21
8
2K121

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सागर	M.7 बाण्ड हिलोन्गु के नाम पर सागर	मऊ	26,00,000/-	स्वयं के नाम पर	वै. 5 अगस्त 2014	निरंक	
सीधौर	शा. 2022/23/सी नए. 2022/23/सी सीधौर	लोहर	7,00,000/-	स्वयं के नाम पर	वै. 5 अगस्त 2020 01-15-21	निरंक	
मोण्ड	शा. 2022/23/सी मोण्ड	लोहर	5,50,000/-	परिवार के नाम पर	पू. के. वै. 5/11/2014 वै. 5 अगस्त/कर्मचारी शा. 2022/23/सी	निरंक	

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

[Signature]

नाम

पुष्प कुमार सब्बा

पद

अधीनस्थ अधिकारी

W-229-2 चापन) अ 700-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुरेश कुमार साकरिया

2. वर्तमान धारित पद

कक्ष अधिकारी

3. वर्तमान वेतन

52200/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.07.21

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - मंडोरी तह - हुमर जिला भोपाल	20x50 1000 स्क्वा निर्माणाधीन	मकान निर्माणाधीन	11 लाख अनुमानित	सांयुक्त सुरेश कुमार साकरिया स्व श्रीमती सावित्री साकरिया	स्वयं की वचत LIC लोन सोसायटी लोन पी-एच एच एच को बैंक से पर्सनल लोन हारा	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

13.7.21

नाम

सुरेश कुमार साकरिया

पद

कक्ष अधिकारी

W-229-2 व्यापन) 31-7-2020-

7/12/21
8/12/21
GAD Forms (W) 1

फार्म
*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मानव संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, जयपुर 2. वर्तमान धारित पद कक्षा 3/अधिकारी

3. वर्तमान वेतन ₹ 59100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Nil			Nil

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परबात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 11/01/2021
 नाम आशाशुभ सिंह शर्मा
 पद कक्षा 3/अधिकारी

W-229-2 व्यापना अ-700-

प्रार्थना

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती संजीता यादव 2. वर्तमान धारित पद डॉ. संजीता यादव

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2021

[illegible]

••• जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 •• ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।
 ••• इन्हीं अत्यन्तकालीन पदों भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़ें या बंधकी पर उसके द्वारा धरित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : Sangeeta

41012021

2-101101 4144

पद : सुशोभित

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्री राजनन्द दोहरे

2. वर्तमान धारित पद

उप सहायक

3. वर्तमान वेतन

49500/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि प्रुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) भुवनाथ नगर मिण्ड जिना मिण्ड (मं०)	आवासीय घर 25X50 फुट		6 लाख	पत्नी के नाम	पैशु जिमि विक्रम कुल्लोट कुम कुल्लोट निर्माण द्वारा	Nil	Nil
(2) बुरगावां जमीन बुरार जवालिमर (मं०)	28X42 फुट		1,30,000/-	(पत्नी के नाम)	जी.पी. स्फुटा हाइडरा कर लाट कुम जिमि	Nil	Nil

जहां नाम न हो कोट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : राज्यसेवा शासकीय सेवा (आवश्यक) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के पश्चात् वह घोषणा पत्र पर कार प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्थापित्व को सेवा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उससे अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

श्री राजनन्द दोहरे

उप सहायक

मा. मि. मं० जवालिमर

(मं०)

W-229-2 वापस आ 7000-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वंश

591001

अगली वंशवृद्धि की तारीख

01/7/2021

9/12/21
8/2/21

कक्षा अधिकारी

उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि प्रुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला मुजफ्फरपुर	गृह	-	20,00,000/- (दस लाख)	स्वयं	निरंक	निरंक	

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महानि की अवधि के परचाप पर धोखा पर धार का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाधिन्य को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर... 8/2/21

नाम... 8/2/21

पद... कक्षा अधिकारी

W-229-2 व्यापना अ न 00 -

2071277
8/23/21
CA-D-Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अमाना रिट सोलंकी 2. वर्तमान पद कक्ष अधिकारी

3. वर्तमान चतन ४८१०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२१

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर पारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, गिरास्त, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि फुलित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① पुष्पाम-सिटी जाकर-३५-२४०५वा- डिवा-२४०५वा मो ५०	भुखरुड	-	१२ लाख २० हजार अनुमानित		विवाह से प्राप्त धनराशि एवं एवं की वचत से-	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसी भाषा में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के मन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : सम्प्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक तदनुसंग से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पदोन्नति की अवधि के परवान पर प्रवेश पर कर प्रत्युत को और उसमें वह उनसे स्थापित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे गिरास्त में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा पारित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Bhupendra
नाम अमाना रिट सोलंकी
पद कक्ष अधिकारी

W-229-2 व्यापन अ न ७००-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो देवेन सोनवानी 2. वर्तमान भारित पद कक्ष-अधिकारी

3. वर्तमान वेतन 48100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई-2021

उत्तर जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि पुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	पूँछ					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① ग्राम-बिसौरा पोस्ट-अमगवां तह-निवास जिला-मण्डला (म.प्र.)	गृह	-	लगभग 9 लाख (नौ लाख मात्र)	स्व. श्री फागुलाल जी सोनवानी संबंध- पिताजी	विरासत (पैतृक-सम्पत्ति)	-	-
② अमृत पेलेस S-13 'ब' सेक्टर निपानिया-इंदौर	भवन 825 वर्गफीट	-	26 लाख (दोषीस लाख) लगभग	-	L.I.C. हाऊसिंग फायनेंस कं. लिमि. र्स कृण (नोन) लेकर	Rs. 900000000 (नब्बे हजार) क्रिये व पूजन	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाने यह घोषणा पर भा का प्रस्तुत करें और इसमें यह उनके स्वाधिकार को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर देवेन सोनवानी
नाम देवेन सोनवानी
पद कक्ष-अधिकारी
संभागीय कार्यालय
साध्यमिक शिक्षा मण्डल
इंदौर (म.प्र.)

W. 229 - 2 व्यापन) अ न 000 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो के के शांकर 2. वर्तमान धारित पद कक्षाधिकारी

3. वर्तमान वेतन 59100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
भोपाल महाकाय कॉलोनी वसेल कॉलेज के पीछे एफाईएल्लेड डेम भोपाल	गृह	—	15 लाख	श्रीमती मोना शांकर (पत्नी)	गृह गृहप बंधन के द्वारा	कुछ नहीं	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक या उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्री के के शांकर

कक्षाधिकारी

W-229-2 कोपन) अ-700-

श्री 712517
8
2/12/21

CA D Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कुल कुमार आरिशा 2. वर्तमान धारित पद उच्च अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 49500/- आय की जानकारी की तारीख 01/07/2021

उस जिले, उप-अंश, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा भूमी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो मतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा धर्म	संपत्ति से वार्षिक आय	अभि पृक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जबलपुर	गृह	-	40,00,000/- 01/07/21	स्वयं	S.B.I. से लोन	36000/-	

*यहां नाम न हो खात दीजिए।
**देते समय में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगाया मूल्य मतलाया जाय।
***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: माध्यमिक शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम सेमी, द्वितीय सेमी तथा तृतीय सेमी सेवक के प्रत्येक सदस्य से एक अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की आय की परीक्षा यह घोषणा पत्र पर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वसिद्ध को तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा दान विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधन पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा संपत्ति के बारी हैं।

हस्ताक्षर
नाम कुल कुमार आरिशा
पद उच्च अधिकारी

W-229-2 व्यापन) आ न 000 -

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अजय कुमार कश्यप

वर्तमान धारित पद कक्षा अधिकारी

3. वर्तमान वेतन 49500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, तिरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① राम कृष्ण मेला शास्दा नगर जबलपुर (मध्य प्रदेश)	आवासीय मकान	850 वर्ग	16,00,000	पिताजी का नाम पर कृष्ण पट्टा के नाम पर	पिताजी से कृष्ण पट्टा पर क्या किया	36,000/-	Nil
② नया गांव नई करनी जं. जिला करनी (मध्य प्रदेश)	आवासीय मकान	900 वर्ग	9,00,000	परिवारिक भूमि बंटे भाई के नाम पर	पुर्वज से	Nil	Nil

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्ति) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह उस सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्यामिल्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

21/01/21
नाम अजय कुमार कश्यप
पद कक्षा अधिकारी

रम्या. कृष्ण. वा. नरि. शा. मंडल री. शा.

W-229-2 वापस आ 7000-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

मदन लाल शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

हाई डिप्टी
मैजिस्ट्रेट

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

03 मई 2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोफस मजिस्ट्रेट काकोरी कोमल रोड मोफस	20X30 प्लॉट नं. 1	—	10000/- मामूला	(कीमती) 10000/- मामूला	हस्तान्तरण पद के अर्जित प्राप्त की	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवकों के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

मदन लाल शर्मा
मैजिस्ट्रेट

W-229-2 (आपना) अ नं 000-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

उदय कुमार राय

2. वर्तमान धारित पद

अधीनस्थ अधिकारी

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

१०.०७.२०११

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B-74 मिनाल रेनडिंग उदयपुर मिनाल	B-74	-	50,00,000	पत्नी के नाम पर	पति का पट्टा, लाल बैंगन तथा बेल में बोर्ड लाल श्री जे. जगन्नाथ राव 9893323970 वर्ष 2014-15 खरीद का	-	
		2750 वर्ग फीट मालूम है।	लाल नदी	पत्नी के नाम पर			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकों पर उसके द्वारा धारित समस्त अथवा सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

उदय कुमार राय

अधीनस्थ अधिकारी

W-229-2 व्यापन) अ 700-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२०-२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कावनिगा अला मोजाग	23X45 500	XII	40000	40000	40000	XII	—
22/1/15 42/21 डिमा	10X30 584	XII	15000	2900	40000	XII	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पर भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-229-2 वापन) अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

शम्मी बेगा

2. वर्तमान धारित पद

कक्षा अधिकारी

3. वर्तमान वेतन

₹ 2,50,000

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई २०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जि० सिवनी (म० ५०)	भवन/ प्लॉट (५०x६० वर्ग फुट)	—	ज्ञात नहीं	स्वयं	अल्प संचय	—	—
	—	—	—	—	—	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाने यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

शम्मी बेगा

कक्षा अधिकारी

२१/११/२०

W-229-2 (आपन) अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो के के शापकवार 2. वर्तमान धारित पद कक्षाधिकारी

3. वर्तमान वेतन 59100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2021

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल महाकाल कॉलोनी वसंत कॉलेज के पीछे एचई स्टेड डेम मोपाल	गृह	—	15 लाख	श्रीमती मीना शापकवार (पत्नी)	गृह गण बंधन बैंक द्वारा	कुछ नहीं	—

* जहां लागू न हो कार दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वहीने की अवधि के परबात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्री के के शापकवार
कक्षाधिकारी

W-229-2 थापना अ 700-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

शरमा बेग

2. वर्तमान धारित पद

कक्षा अधिकारी

3. वर्तमान वेतन

4,200 G.P.

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई २०२१

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जि० सिवनी (म०प्र०)	भवन/ प्लॉट (40x60 वर्ग फुट)	—	ज्ञात नहीं	स्वयं	अल्प संचय	—	—
	—	—	—	—	—	—	—

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

27/11/21

नाम

शरमा बेग

पद

कक्षा अधिकारी

W-229-2 (आपन) अ 700-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०-२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कावनिगा अला मोपाग	23X45 54	XIL	पत्तोल नाम	पत्तोल नाम मोपाग	पत्तोल नाम मोपाग	XIL	—
मजलीस 4221 डिगा	10X30 584 वर्ग फीट	XIL	150000	2900	कावनिगा मोपाग होमर कावनिगा	XIL	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

W-229-2 कापन 13 नव -